# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

**पत्रावली संख्याः 64/2017 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)**

1. कलुआ पुत्र सूखी उर्फ सुसरू जाति नट निवासी हतीजर हाल निवासी मुहारी तहसील वैर जिला भरतपुर।
2. सुबहसिंह पुत्र सूखी उर्फ सुसरू जाति नट निवासी हतीजर हाल निवासी मुहारी तहसील वैर जिला भरतपुर।

.........अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर जिला भरतपुर।

..........रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार वैर दिनांक 23.6.1993 नामान्तरकरण संख्या 642 ग्राम हतीजर तह0 वैर वसिलसिले विरासतन

उपस्थित :

1. श्री तालेराम वकील अपीलान्ट।

**दिनांक : 9.11.2017**

## निर्णय

यह अपील राज0भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार वैर की आज्ञा दिनांक 23.6.1993 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश से सूसी फौती का विरासतन दाखिल खारिज उसके वारिसों के नाम दिनांक 23.6.1993 को स्वीकृत किया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नियमानुसार उभयपक्षकारान को तलब किया जाकर तहत पत्रावली/रिकार्ड तलब किया गया। बाद कार्यवाही नियत दिनांक को उभयपक्षकारान को सुना गया। वकील उभयपक्षों की बहस तर्कों पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। उनका कहना है कि अपीलाधीन इन्तकाल नम्बर 642 दर्ज करते वक्त सूखी उर्फ सुसरू के वारिसों में एक तेजपाल नाम गलत लिख दिया है । तेजपाल नाम का कोई वारिस नहीं है बल्कि उसका नाम कलुआ है । दूसरे सूबेसिंह का नाम भी गलत दर्ज कर दिया है क्यों कि सूबेसिंह नाम नहीं है बल्कि सही नाम सुबहसिंह है। इसके अलावा मृतक का नाम भी सूसी नहीं है बल्कि सूखी उर्फ सुसरू है। यह गलती पटवारी हल्का से हुई है जिसका इल्म अपीलान्ट को समय रहते नहीं हो पाया। प्रकरण की वास्तविकता यह है कि मृतक का असली नाम सूखी उर्फ सुसरू है जिसके तीन वारिस (1) जमनी–पत्नी जो फौत हो चुकी है (2) कलुआ–पुत्र (3) सुबहसिंह–पुत्र है। तहत अदालत द्वारा अन्तर्गत अपीलाधीन आदेश कार्यवाही सहवन से की गई है जो दुरूस्त योग्य है। अपीलान्ट का देरी से अपील पेश करने के संबध में यह कहना है कि इस गलत इन्द्राज की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 25.3.2017 को हुई इसलिऐ जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। जिसके लिये पृथक से धारा –5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश किया गया है। इस संबध में आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:–

''Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants''

तथा आर0बी0जे0 (4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

'' Liberal view should be Taken in Cononing The Dely in Filling The appeal''

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित रहता है अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अपीलान्ट ने कोई हक हकूकी का बिन्दु न उठाया जाकर केवल अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित किये गये नामों को दुरूस्त किये जाने का बिन्दु उठाया है। चूंकि अपीलान्ट का कहना है कि वास्तव में मृतक का नाम सूसी न होकर सूखी उर्फ सुसरू है एवं उसके वारिस जो वर्तमान में जीवित है का नाम कलुआ व सुबहसिंह है। लेकिन अपीलाधीन नामान्तरकरण में फौती एवं उसके वारिसानो का गलत नाम दर्ज कर दिया है । जिसकी पुनः जांच कराया जाना हमारे ख्याल से न्यायसंगत रहता है। बिना वारिसानों के नामों की जॉच/ठोस आधार के अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना प्रतीत हो रहा है जो न्याय संगत नही रहता है। यह माना कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तरकरण एक सरसरी प्रकिया है। फिर भी राजस्व रिकार्ड में आगामी इन्द्राज किये जाने मे यह अहम भूमिका निभाता है। इसलिऐ दौराने नामान्तरकरण स्वीकृति तहत अदालत के लिये विधिवत जांच वेहद आवश्यक हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण पुनः फौती एवं फौती के वारिसानों के सही नामों की जांच करने एवं तदनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल लाये जाने हेतु रिमाण्ड किये जाने योग्य ही रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 642 दिनांक 23.6.1993 निरस्त किया जाता है। यह प्रकरण तहत अदालत तहसीलदार वैर के लिये इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक व मृतक के विधिक वारिसानों की जांच व उनके सही नामों की जांच करें तदोपरान्त इस विरासतन नामान्तरकरण के संबध में न्यायसंगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 9.11.2017 को सुनाया गया।

**अतिरिक्त जिला कलक्टर,**

**भरतपुर**

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official